>

Title: Need to cover all non-electrified villages under Rajiv Gandhi Rural Electrification Scheme in the country.

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने वर्ष 2005 में गैर-विद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रारंभ की थी। इस योजना में विभिन्न राज्यों के 100 से अधिक आबादी वाले गांवों एवं मजरों के विद्युतीकरण का काम स्वीकृत किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में वर्ष 2004 में ग्रामीण विद्युतीकरण की जो योजना स्वीकृत की गयी थी, उसमें केवल एक मुख्य गांव एवं एक मजरा शामिल किया गया था। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 100 से अधिक आबादी वाले 1,38,373 मजरों के विद्युतीकरण हेतु लगभग 12,367 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृति हेतु भेजी गयी। ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 300 से अधिक आबादी के मजरों के विद्युतीकरण हेतु डीपीआर मांगने हेतु संशोधित दिशा-निर्देश निर्गत किए गए। उत्तर प्रदेश द्वारा 69 जनपदों के 63,909 मजरों के विद्युतीकरण हेतु 83,071 करोड़ रुपये की डीपीआर प्रेषित कर दी गयी।

19.00 hrs.

अभी तक किसी भी डीपीआर को स्वीकृत नहीं किया गया है, केवल रायबरेली और सुल्तानपुर के गैर विद्युतीकृत मजरों के लिए धनराशि स्वीकृत करना तथा अन्य जनपदों के गैर विद्युतीकृत मजरों के विद्युतीकरण के लिए धनराशि स्वीकृत न करना केन्द्र सरकार की भेदभाव पूर्ण नीति का द्योतक है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने ही यह घोषणा की थी कि 2012 तक प्रत्येक घर को बिजली की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के गैर विद्युतीकृत मजरों की योजनाएं स्वीकृत नहीं होने के कारण उत्तर प्रदेश में जो गांव देहात के लोग हैं, वे आज भी बिजली के लिए बहुत परेशान हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में मजरों के विद्युतीकरण की योजना जो केन्द्र सरकार को भेजी गई है, वह जल्द से जल्द पास की जाए।

MR. CHAIRMAN :

Smt. Jyoti Dhruve and

Shri Shailendra Kumar may be allowed to associate themselves with the matter raised by Shri Ramashankar.